

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 17/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 03.03.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 13/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 03.02.2020, का.आ. 562 (अ) दिनांक 04.02.2020 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 10 के स्तंभ सं. 3 में मौजूद प्रविष्टि को "फा. सं. DRI/MZU/CI/Int-41/2016-Pt.I दिनांक 20.12.2019, दिनांक 10.02.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-51/2019-CI]

(पारस मल सांखला)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई
2. प्रधान/अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई ज़ोनल यूनिट को इस निवेदन के साथ कि नोटिसी को अधिसूचना के जारी होने के बारे में सूचित करें।